न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर

बइजलास श्रीमती रीना (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं. 45/2019

अनुवान जितेन्द्रसिंह वगैरा बनाम राज. सरकार वगैरा

दावा अन्तर्गत धारा 111,113,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 12.11.2020

जितेन्द्रसिंह पुत्र स्व. दुर्गासिंह राठौड़ जाति राजपूत निवासी थिरियासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब, सरदारशहर जिला चूरू

अप्रार्थी

2 देवीसिंह पुत्र अनोप कंवर
3 गुलाबसिंह बेवाह दुर्गासिंह
4 ओमवीरसिंह
5 हरेन्द्रसिंह
6 मानवेन्द्रसिंह
7 अरविन्दसिंह

जाति राजपूत निवासीगण थिरियासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू

उपस्थिति –

श्री समुद्रसिंह शेखावत एडवोकेट वास्ते प्रार्थी
श्री बाबुसिंह राठौड़ प्रतिवादी सं0 2 ता 7।
पैरोकार राज वास्ते प्रतिवादी संख्या 01

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण सं0 02 ता 07 के नाम से खेत खसरा नं0 114 तादादी 63 बिघा 01 बिश्वा, खसरा नं0 145 तादादी 4 बिश्वा, खसरा नं0 146 तादादी 16 बिश्वा, खसरा नं0 149 तादादी 6 बिघा 10 बिश्वा, खसरा नं0 196 तादादी 1 बिघा 15 बिश्वा, खसरा नं0 284/141 तादादी 6 बिश्वा, खसरा नं0 379/378 तादादी 22 बिघा 19 बिश्वा कुल 95 बिघा 11 बिश्वा रोही मौजा थिरियासर तहसील सरदारशहर संयुक्त खातेदारी व काबिज कास्तकारी की भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक 1/24 हिस्सा भूमि का सहखातेदार है मौके पर सहखातेदार देवीसिंह की 1/2 हिस्सा तथा सह खातेदार हम दुर्गासिंह के वारिशान की 1/2 हिस्सा भूमि का वाहमी बंटवारा चला आ रहा है सह खातेदार रूकम कंवर जो प्रार्थी की दादी है जिनका स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिशान प्रार्थी एव गौण अप्रार्थी सं0 03 ता 07 है। जो सभी सह खातेदार अपने अपने हक हिस्से अनुसार भूमि मौके पर कास्त करते चले आ रहे है जिसकी अलग अलग सीव व कब्जा कास्त चला आ रहा है प्रमाणित जमाबन्दी व नक्शा शामील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में सें खसरा नं0 149 तथा 196 की भूमि वाहमी बटवारे में प्रार्थी के हक हिस्से में आयी हुई भूमि है जिस पर मुझ प्रार्थी व गौण अप्रार्थी सं0 3 ता 7 का कब्जा कास्त चला आ रहा है राजस्व रिकॉर्ड में हम संयुक्त खातेदारों की उपरोक्त भूमि शामलात में चली आ रही है। उपरोक्त खसरा नं0 149 तथा 196 की चिपते हुये है जिसके बिच से रास्ता गुरने से उपरोक्त भूमि के दो खसरे कायम किये हुये है उपरोक्त दोनो खसरा जात की भूमि के उतर में हम प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण सं0 3 ता 7 की भूमि स्थित है तथा पश्चिम, दक्षिण, पूर्व में गोचर भूमि स्थित है तथा दक्षिण पूर्व की तरफ कुछ आबादी भूमि स्थित है। वर्तमान में मौके पर खसरा नं0 149 व 196 की भूमि का क्षैत्रफल कम स्थित है। यानी खसरा नं0 149, 196 की भूमि मौके पर राजस्व रिकार्ड रकबा से कम रकबा स्थित है जिसकी सही पैमायश करवायी जाकर पुख्ता सीमा चिन्ह कायम की जावे एवं उसी अनुसार पथ्थर गढी करवायी जावे। जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

खसरा नं0 149, 196 के पूर्वी तरफ दो तीन मकान बने हुऐ है जो या तो आबादी भूमि में है अथवा गौचर भूमि में आबाद है जिसका सही आंकलन पैमायश से ही होगा। उक्त लोगो द्वारा भी हमारी सीव को नष्ट व रद्वो बदल कर प्रभावित किया गया है जो बाद पैमायश व सीमा चिन्ह कायम करने पर सही तथ्यों की जानकारी होगी। उक्त लोग प्रार्थी की जानकारी के अनुसार गोचर भूमि में गैर कानूनी रूप से आबाद हुए है यानी प्रार्थी की खसरा नं0 149, 196 के उतरी तरफ प्रार्थी की भूमि के अलावा तीनों तरफ गोचर भूमि ही स्थित है यानी प्रार्थी की भूमि आबाद मकान अथवा सरकारी भूमि में दबी हुई भूमि है जिसके लिए प्रार्थी ने भूस्वामी श्रीमान तहसीलदार साहब को उपरोक्त प्रार्थी की भूमि की सही पैमायश कर सही सीमाचिन्ह कायम करने का कहा मगर आज तक उन्होने इस और कोई ध्यान नही दिया गया तब आखिर में प्रार्थी ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमानजी के प्रस्तुत किया गया है।

गौण अप्रार्थीगण सं0 3 ता 7 वादगत भूमि के संयुक्त खातेदार है जिन्हे भी प्रार्थी ने खसरा नं0 149, 196 की भूमि की पैमायश व सीमाचिन्ह कायम करवाने के लिए कहा मगर उन्होने इस बात पर कोई गौर नही किया। उपरोक्त सह हिस्सेदार है जिन्हे आवश्यक कानूनी पक्षकार बनाया गया है।

इस प्रकार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं0 149, 196 रोही मौजा थिरियासर तहसील सरदारशहर का सीमाज्ञान करवाया जाकर नियमानुसार पत्थर गढी करवायी जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सशुल्क तलब किया गया। दिनांक 13.03.2020 को अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये एवं पत्थरगढ़ी करने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अप्रार्थी संख्या 01 को को बार–बार अवसर देने पर भी जबाब पेश नहीं किया अतः दिनांक को इनका जबाब बन्द किया गया।

वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 7 ने पत्थरगढ़ी पर सहमति देकर एवं अप्रार्थी संख्या 01 ने बार–बार अवसर दिये जाने पर जबाब पेश नहीं कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की ताईद की हैं अतः अप्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी कराने के आदेश

पारित किये जायें। वकील अप्रार्थीगण ने जाहिर किया कि पत्थरगढ़ी की जाती हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं हैं।

वकिल प्रार्थी के तर्को पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 7 ने पत्थरगढ़ी कराने में सहमति दी हैं। इस प्रकार प्रार्थना पत्र पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता हैं अतः स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार सरदारशहर को आदेश दिये जाते हैं कि वह दक्ष पटवारियों एवं गिरदावरों की टीम गठित कर उभय पक्षकारान की उपस्थिति में खसरा न. 114, 145, 146, 149, 196, 284/141 व 379/378 रोही थिरियासर की पैमाईश कराकर पुख्ता पत्थरगढ़ी करावें, ताकि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं0 149, 196 रोही मौजा थिरियासर तहसील सरदारशहर की पैमाईश रकबे अनुसार सही व सटीक हो सकें। पत्थरगढ़ी केवल मात्र पैमाईश का आधार होगा न की खाता विभाजन का, पैमाईश उपरान्त उभय पक्षकारान के सयुक्त खाता की सीमाओं का निर्धारण विधिवत विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स में किया जाकर अलग–अलग खाता कायम किया जाकर ही सम्भव होगा।पैमाईश एवं पत्थरगढ़ी का समस्त खर्चा प्रार्थी अपना–अपना वहन करेगें। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार सरदारशहर को भिजवाई जावें।

(रीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 12.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)